न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 240/2023

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
फूसाराम पुत्र भगवानाराम जाट निवासी ग्राम बडला बासनी, तह0 तिंवरी, जिला जोधपुर		**राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर**

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी ओसियां प्र0सं0 286/2020 आदेश दिनांक 02.09.2020

उपस्थिति –
1. श्री रोशनलाल विश्नोई वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता राज्य पक्ष की ओर से

निर्णय

दिनांक 02.05.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी ओसियां के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2020 के द्वारा तहसीलदार तिंवरी के नक्शा दुरूस्ती हेतु प्रस्तावित ग्राम बड़ला बासनी स्थित अपीलांट के खसरा नं0 13 व 13/1 का जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्य के दौरान रिकार्ड मौका एवं नक्शें में भिन्नता के कारण जमाबंदी खाता तथा खसरा नम्बरों को सही करने हेतु तरमीम दुरूस्ती का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलांट खसरा नं0 13/1 का खातेदार काश्तकार है। खसरा नं0 13 व 13/1 का नक्शा वक्त सेटलमेंट सही था, तत्पश्चात तरमीम नक्शा गलत हो गया। पूर्व में खसरा नं0 13 गंगाराम वगैरा तथा खसरा नं0 13/1 अपीलांट की सह–खातेदारी का था तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं0 13 को ख0नं0 13 व 13/5 में एवं खसरा नं0 13/1 को ख0नं0 13/1 व 13/4 में विभक्त कर नजरी नक्शें अनुसार तरमीम दुरूस्ती का आदेश पारित किया गया है। जबकि गुगल मेप के अनुसार मौके पर अपीलांट व अन्य खातेदार अलग तरह से काबिज है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त खसरान की मौके से विपरित तरमीम कर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दी गई है। इसके अलावा आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा ना ही तरमीम दुरूस्ती के प्रस्ताव में उसकी सहमति ली गई है। अपीलाधीन आदेश की आड में प्रत्यर्थी राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन कर अपीलांट को मौके से बेदखल करने को आमदा है। इस प्रकार तरमीम सेग्रीगेशन की कार्यवाही मौके से विपरित होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकरण में तहसीलदार तिंवरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि सेग्रीगेशन कार्यवाही के दौरान खसरा नम्बरों का वन टू वन मिलान करने पर जिन खसरा नम्बरों में रिकार्ड, मौका तथा नक्शें में भिन्नता आ रही थी, उनमें समानता के लिहाज से उल्लेखित खसरान के रेकर्ड एवं नक्शें में शुद्धि हेतु प्रकरण तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया गया था, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार करना उचित है। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रथमतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट एवं संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवााई का अवसर नही दिया जाना पाया गया। द्वितीयतः प्रस्ताव में लट्टा नक्शा/नजरी नक्शा में ख0नं0 13 व 13/1 की स्थिति, प्रस्तावित नक्शे में 13/5 व 13/4 दर्शायी गई है, जिसे उक्त अपील में मौके से विपरित होना बताया गया है।

अतः उपरोक्त स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2020 को निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां को इस निर्देश के साथ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उक्त प्रकरण में अपीलांट एवं संबंधित खातेदारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, बाद जांच पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 02 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

02.05.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर